Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ धौलपुर में सहायक अभियन्ता कार्यालय, बसेडी का लाईनमैन (तकनीकी– द्वितीय) 4,000/– रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर दिनांक 17 सितम्बर, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लोकेश कुमार मीना तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलु विद्युत कनैक्शन पर स्थापित विधुत मीटर में अधिक रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में स्वयं के लिये 4,000/– रूपये की रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 4,000/– रूपये आज दिनांक 17.09.2025 को परिवादी को नगर पालिका बसेडी में बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई **4 हजार रुपये** की राशि उसके कब्जे से उसकी पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके पिता के नाम स्वीकृत घरेलू विधुत कनैक्शन पर स्थापित विधुत मीटर की विधुत उपभोग रीडिंग को जीरो करने एवं मीटर को बदलने की एवज में स्वयं के लिये 6,000/– हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी करौली के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लोकेश कुमार मीना तकनीकी द्वितीय (लाईनमैन) नयावास फीडर बसेडी कार्यालय सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम) जयपुर डिस्कॉम बसेडी जिला धौलपुर को परिवादी से 4000/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।